संख्या- 34/2022/789 /001-2-3-2-17

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्तध विषयक निदेशालय पत्र संख्या-05/बा0वि0परि0लेखा/2022-23, दिनांक 04 अप्रैल, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अधीन आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तरर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु उल्लिखित योजना मंर उपशीर्षकों के अन्तमर्गत दिये गये मानक-मदवार विवरण के अनुसार आय-व्योयक में प्रावधानित धनराशि रु0 15524.37 लाख के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) हेतु सम्भा िवित व्यकय के दृष्टिगत धनराशि रु0 5165.50 लाख (रुपया इक्यावन करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीगय स्वीकृति निम्नललिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यतपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकारध्राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकोंध्दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा । उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य् योजनाध्कार्यक्रमध्मदध्इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा । यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टादहार उत्तरदायी होंगे ।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है । बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा ।

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है । अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकारध्केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय

करने से पूर्व तत्स म्बंधधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(8) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(9) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
1	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	01 वेतन	31,10,00,000 (रुपये इकतीस करोड़ दस लाख मात्र)
2	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	11,50,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र)
3	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	04 यात्रा व्यय	43,00,000 (रुपये तैंतालीस लाख मात्र)
4	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
5	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	06 अन्य भत्ते	13,00,000 (रुपये तेरह लाख मात्र)
6	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	65,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र)
7	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	09 विद्युत देय	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
8	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	63,00,000 (रुपये त्रेसठ लाख मात्र)

10	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
11	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
12	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
13	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,60,00,000 (रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)
14	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	66,00,000 (रुपये छियासठ लाख मात्र)
15	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	18 प्रकाशन	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
16	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
17	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	29 अनुरक्षण	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
18	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	42 अन्य व्यय	43,00,000 (रुपये तैंतालीस लाख मात्र)
19	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
20	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
21	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
22	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	52,00,000 (रुपये बावन लाख मात्र)
23	049	2235021020300 बाल विकास एवं	49 चिकित्सा व्यय	33,00,000 (रुपये तैंतीस लाख मात्र)

		पुष्टाहार निदेशालय		
24	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	51 वर्दी व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
25	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	1,36,00,000 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख मात्र)
26	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
कुल				**51,65,50,000 (रुपये इक्यावन करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 34 /2022/789/001-2-3-2-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त (व्याय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6.वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।